**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : 80**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली**

**\*80. श्री सी॰ एम॰ रमेशः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सुदृढ़ निगरानी प्रणाली न होने की वजह से राज्य अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थों की अत्याधुनिक जांच नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय राज्यों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना बना रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजनार्थ दो वर्ष पूर्व एक योजना बनाई गई थी, किन्तु उसे अभी तक आरंभ नहीं किया गया है; और

(घ) क्या मंत्रालय उस योजना को अब आरंभ करके राज्यों की सहायता करेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री **(**श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

--

राज्य सभा में 28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या : 80**\*** के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक निगरानी योजना तैयार की है और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ इसे साझा किया है। यह एक निर्देशात्मक और सुझावात्मक योजना है तथा यह राज्यों को अपने स्थानीय शर्तों एवं परिवेश के अनुकूल इसे संशोधित करने हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है। राज्य विभिन्न खाद्य पदार्थों की निगरानी के लिए कार्रवाई करते हैं। तथापि, इस निगरानी योजना की विविध खाद्य पदार्थों के संबंध में परिष्कृत जांच करने हेतु राज्य की क्षमता पर कोई बाध्यता नहीं है।

(ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ साझा की गई निगरानी योजना के अनुरूप खाद्य पदार्थों की निगरानी करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को समय-समय पर निर्देश/ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर मौजूदा प्रवर्तन, जांच और निगरानी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और इसका अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। इन ढांचों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित एक स्कीम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ तैयार की गई है।

\*\*\*